सं० फा० 10(24)ई III(बी)|60

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16th December, 1971.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का अन्य सरकारों, विभागों, कम्पनियों, निगमों आदि को स्थानान्तरण - प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता ।

मुझे, इस मंत्रालय के 15 जून 1961 के का० ज्ञा० सं० फा० 10(24)-ई III|60 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिस के अनुसार लेखा परीक्षा विभाग में विशेष वेतन पानेवाले भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों को विशेष वेतन के अतिरिक्त, उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जासकता है, जिसमें शर्त यह है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में मिलनेवाले विशेष वेतन की रकम और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की रकम मिलाकर 300.00 रु० प्रति मास से अधिक नहीं हो । इस मंत्रालय के 27 जनवरी 70 के इसी संख्या के का० ज्ञा० में निहित आदेशों के अनुसार, उसी स्थान में प्रतिनियुक्ति होने पर, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता केवल 10 प्रतिशत की दर से देय होता है । इसलिये, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि लेखापरीक्षा विभाग में विशेष वेतन पानेवाले, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों की

(कृ० पृ० उ०)

प्रतिनियुक्ति जब "उसी स्थान में" असंवर्गीय पदों पर हो तो उनको, उनके मूल विभाग में मिलनेवाले विशेष वेतन के अतिरिक्त, उनके मूल वेतन का 7½ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (झूटी) भत्ता दिया जासकता है जिसमें शर्त यह है कि भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में मिलनेवाले विशेष वेतन की रकम और प्रतिनियुक्ति (झूटी) भत्ते की रकम मिलाकर 300.00 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं हो । इसके लिये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्रमाणित करना होगा कि अगर वे प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाते तो वे अपने मूल विभाग में विशेष वेतन पाते रहते । दिनांक 27-1-70 के उपर्युक्त का० ज्ञा० की अन्य शर्तें यथापरिवर्तित रूप में उन पर भी लागू होंगी ।

2. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे । जो कर्मचारी इन आदेशों के जारी होने की तारीख को प्रतिनियुक्ति पर हैं और दिनांक 15-6-61 के आदेशों के अन्तर्गत अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (झुटी) भत्ता पा रहे हैं, उनको तब तक प्रतिनियुक्ति (झूटी) भत्ता उसी दर पर मिलता रहेगा जब तक वे उसी पद पर काम करते रहेंगे ।

दया सिंह

उप सचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. लोक सभा सचिवालय ।
4. राज्य सभा सचिवालय ।
5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय । (6) वेतन आयोग ।